

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- प.5(8) नावि/3/99

जयपुर, दिनांक :- 29.12.04

आदेश

कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क जमा कराने के संबंध में इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक प.5(8) नविवि/99 दिनांक 30.8.2001 में आशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि भू-स्वामी द्वारा नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क की राशि दो भागों में जमा करवाई जायेगी। स्थानीय निकाय विभाग के अंश की राशि (60 प्रतिशत) स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित चालान/नकद प्राप्ति रसीद (जैसी भी व्यवस्था हो) के द्वारा जमा की जायेगी एवं शेष राज्य सरकार के हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे चालान के जरिये राज्य कोष में लेखा शीर्ष 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्रप्तियां (07) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस (01) नगरीय विकास विभाग के माध्यम से, जमा कराई जायेगी। राज्य कोष में राशि जमा कराने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त लेखा शीर्ष अंकित कर चालान फार्म अपने स्तर पर मुद्रित कराया जायेगा, जिससे राशि के वर्गीकरण में त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहे एवं चालान को बिना कार्यालय से पारित करवाये सीधे राशि अधिकृत बैंक शाखा में जमा कराई जा सकें।

संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निकाय में पदस्थापित लेखा सेवा/अधिनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे राज्य हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे राज्य कोष में जमा कराये जाने के लिए निर्धारित की गई उपरोक्त प्रक्रिया की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति अ.शा.टीप. एफ.4(94) वित्त 1(1)/आ. व्य./03 दिनांक 29.12.04 से किया जाता है।

आज्ञा से,
(सी. एस. बेनीवाल)
उप शासन सचिव